न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं. : 08/201 3

अनवान :

1. साधुराम पुत्र श्री राजेन्द्र जाति जाट निवासी भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- प्रार्थी

बनाम

1. हरकौरी पत्न दीवान सिंह जाति जाट निवासी भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (ाजस्थान)
2. जयवीर सिंह पुत्र दीवानसिंह जाति जाट निवासी भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (ाजस्थान)
3. संजीव कुमा पुत्र दीवानसिंह जाति जाट निवासी भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (ाजस्थान)

- अप्रार्थीगण

दरख्वास्त अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधिनियम
उपस्थित : वकील श्री मदनलाल सेानी : प्रार्थी
वकील श्री बलवन्त सिंह : अप्रार्थीगण
निर्णय **दिनांक : 28.02.2018**

संक्षेप में दरख्वास्त के तथ्य इस प्रकार है कि चक नं0 3 एमएसआर की जमाबान्दी सम्वत् 2 73–76 के खाता सं0 219/62 के मु0नं0 93 के किला नं0 6 की 0. 253 है0, किला न 11/2, 12/1, 13/1, 14/1 के प्रत्येक किला की 0.013 है0 किला नं0 15 व 1 के प्रत्येक किला की 0.253 है0 किला नं0 24/2 की 0.201 है0 किला नं0 25, की 0.253 है0, कुल किता 9 की 1.265 है0 बारानी और मु0नं0 94 के किला नं0 8 की 0 253 है0 नहरी किला नं0 9 ता 12 के प्रत्येक किला की 0.253 है0 बारानी किला नं0 3 व 18 के प्रत्येक की 0.253 है0 नहरी, किला नं0 19 ता 22 के प्रत्येक किला की (253 है0, बारानी किला नं0 23 की 0.253 है0 नहरी कुल किता 12 की 3.036 है0 नहर 1.012 है0 बारानी 2.024 है0 जो कुल क्षेत्रफल 4.301 है0 नहरी 1. 012 है0 बारानी 3. 89 है0 भूमि गैरसायलान सं0 1 ता 3 के नाम खातेदारी दर्ज है और चक नं0 6 डीपीएन की जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 के खाता सं0 33/37 के मु0नं0 19, 20, 21, 27, 28 ो कुल किता 55 की कुल क्षेत्रफल 13.915 है0, नहरी 13.522 है0 गैरमुमकीन रास्ता (168 है0 गैरमुमकिन खाला 0.225 है0 भूमि में से मु0नं0 20 के किला नं0 5 ता 7 की 0 59 है0, किला नं0 11 ता 20 की 2.530 है0 किला नं0 21/1 की 0152 है0 किला नं 22 ता 25 की 1.012 है0 मु0नं0 21 के किला नं0 2/1 की 0.025 है0 किला नं0 5/ की 0.013 है0 किला नं0 6/1 की 0.013 है0 किला नं0 15/1 की

0.013 है0 कुल कित 22 कुल क्षेत्रफल 4.517 है0 नहरी भूमि गैरसायलान सं0 1 ता 3 के नाम खातेदारी दर है।

सायल के दादा श्योनन्द और उसके भ्रातागण झीण्डूराम, गणपत और रूकमा पत्नी श्योनन्द के नाम चक 3 एमएसआर के मु0नं0 92 के किला नं0 3 ता 8, 23 ता 25 मु0नं0 93 के किला नं0 1 ता 3, 6 ता 25 मु0नं0 94 के किला नं0 8 ता 13, 18 ता 23 मु0नं0 108 किला नं0 1, 2 मु0नं0 109 किला नं0 3 ता 8, 13 ता 18, 25 कुल 65 बीघा गैर खातेदा ी भूमि थी और चक नं0 6 डीपीएन के मु0नं0 19 के किला नं0 15 ता 17, 24 25 मु0नं 20 के किला नं0 5 ता 7, 11 ता 25 मु0नं0 21 के किला नं0 1 ता 21 मु0नं0 22 के किला नं0 4 ता 7, 14 ता 16, 24 25 मु0नं0 27 के किला नं0 5 मु0नं0 28 के किला नं0 1 की कुल 55 बीघा नहरी मय खाला 18 बिस्वा और रास्ता 13 बिस्वा भूमि भी उपरो क्तानुसार उनके नाम गैर खातेदारी थी। उक्त वाद भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि को गैर ायलान सं0 1 ता 3 ने झीण्डूराम के वसीयतनामा दिनांक 18.03. 987 के आधार पर क्रमश : ईन्तकाल सं0 145 और ईन्तकाल सं0 50 के द्वारा भूमि अपने नाम करवाली थी। उक्त भूमि में सायल का हक हिस्सा होने के कारण हित प्रभावित होने पर अ ील की थी, जो माननीय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त बीकानेर द्वारा दिनांक 13.07.2017 को उक्त ईन्तकाल संख्या 145 व 50 को निरस्त फरमाया गया है।

उक्त ाद भूमि गैरसायलान संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज होने के कारण सायल को एलानियां तौर पर धमकी दे रहे है कि वे उक्त भूमि पर कब्जा कर उक्त भूमि को विक्रय कर देंगे क्योंकि भूमि हमारे नाम है और उक्त भूमि पर जबरदस्ती ताकत के बल पर ढाणी के म ानात व ट्युबवैल लगाने की धमकी दे रहे है। अगर वे ऐसा करने मे कामयाब हो जाते है तो सायल को नापूरा होने वाला नुकसान होगा।

सायल का उक्त भूमि में झीण्डूराम के लाऔलाद फौत होने के कारण सायल के दादा श्यो न्द और गणपत के वारिसान का हक हिस्सा है, इसलिए सायल का भी उक्त भूमि में ह क हिस्सा होने के कारण उक्त भूमि बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करा पाने का अधिव री है और प्रतिवादीगण इसके लिए उतरदायी है।

दरख्व स्त पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया नोटिस तामील होने के उपरान्त अप्रार्थीगण ने जबाबदरख्वास्त पेश कर अतिरिक्त कथन किया कि विवादित भूमि के सम्बन्ध में एक अपील राजस्व मण्डल अजमेर में र ारकार है तथा एक दीवानी वाद वसीयत के सम्बन्ध में अपर जिला न्यायाधीश भादरा वे यहां जैरकार है। दावा में वादी ने ना ही तो अपने हक की घोषणा चाही है तथा ना ह प्रतिवादीगण के खिलाफ बेदखली चाही है। ऐसी सूरत में वादी का वाद चलने लायक हीं है तथा उसका प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा काबिल खारिज है।

वादी के पिता ने प्रतिवादीगण की वसीयत पर कभी कोई ऐतराज नहीं उठाया है तथा अ र्थीगण को विवादित भूमि का हकदार मानकर उनका खाता अलग कर उन्हे वाद भूमि संभलाई है। ऐसी सूरत में सायल को वाद भूमि के सम्बन्ध में कोई हासिल नहीं है। ज हां तक प्रतिवादीगण वाद भूमि पर काबिज हो तब उनके खिलाफ स्थाई या अस्थाई नि षेधाज्ञा की स्वीकृति कानूनन नहीं दी जा सकती, केवल बेदखली की इस्तदुआ की जा सकती है, जो दावा में नहीं है, इसलिए सायल का वाद ही चलने लायक नहीं है। स ायल विवादित भूमि का किसी भी श्रेणी का नहीं है। इसलिए वह

विवादित भूमि के म्बन्ध में कोई दावा करने का हकदार नहीं है। अप्रार्थीगण के हक में वसीयत दिनांक 18 03.1997 को दर्ज हुई थी तथा सन् 1989 को उनके हक में वाद भूमि का इंतकाल भी द र्ज हो गया था तथा सन् 2015 में वाद भूमि का खाता अलग होकर सब फरीकेन सह ति से बंटवारा भी हो गया था। ये सब कार्यवाही सायल व उसके पिता राजेन्द्र की ानकारी व मौजूदगी में हुई थी और सब कुछ देखकर व जानकारी होने के बाद भी व भी इन्होने इसका ऐतराज नहीं किया। इतने लम्बे अर्से के बाद अब ये ऐतराज के हकदार नहीं है, क्योंकि दफा 10 सीपीसी के इसके खिलाफ लागू होता है।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि झिण्डुराम का ईश्वर की जमीन में 1/4 हिस्सा है। झिण्डूराम लाऔलाद फौत हो गया व व सीयत हरकौरी संजय व जयवीर के पक्ष में करवाई। यदि वसीयत है तो वसीयतकर्ता के भूमि मिलेगी यदि वसीयत नहीं तो साधुराम को पैतृक भूमि में हिस्सा मिलेगा। मौका पर बने ढाणी, ट्युबवैल आदि की कोई फोटो पेश नहीं है। अपने कब्जा बाबत कोई साक्ष्य श नहीं किया। सिविल कोर्ट में वसीयत को नल एण्ड वॉयड घोषित करने का वाद है न कि खातेदारी अधिकारों का। मैं मेरे खातेदारी अधिकारों के लिए राजस्व न्यायालय में आया हूं। भूमि को सुरक्षित रखना आवश्यक है। मौके पर ढाणी, ट्युबवैल आदि न नाए। जहां हक व कब्जा को लेकर विवाद हो तो वहां वादभूमि को सुरक्षित रखना आव श्यक है। संभागीय आयुक्त ने प्रथम दृष्टया मेरा हक माना है। कब्जा सम्बन्धी साक्ष्य पेश नहीं है। अतः कब्जा विवादित है। यदि इंतकाल भौतिक प्रविष्टि है तो कब्जा व अधिकार तो स्वयं इनका भी नहीं है। एडीजे कोर्ट से सिविल राईट वसीयत बाबत तय होना है संभागीय आयुक्त ने एडीजे कोर्ट के दौरान ही फैसला किया है।

वकील अप्रार्थीगण ने अपने जबाब दरख्वास्त के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि भूमि झिण्डूराम की अलॉट शुदा भूमि है। दादालाई भूमि नहीं है। वसीयत के बारे में कोई प्रतिकूल साक्ष्य पेश नहीं किया है। संभागीय आयुक्त के आदेश में वसीयत के सही/गलत होने का कोई फैसला नहीं किया। जब खाता विभाजन हुआ तो सभी पक्षों ने अपना अपना कब्जा ले लिया तो भूमि पर हमारे कब्जा के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। मौके पर डिग्गी व मकान बना हुआ है। जो व्यक्ति जिसके सामने सम्पूर्ण घटनाक्रम टित हुआ है, उसने उस पर कोई आपत्ति नहीं की तो उस पर एस्टोपल बाई कन्व क्ट का नियम लागू होता है, वो उस पर कोई चैलेन्ज नहीं कर सकता है। साधुराम की आयु 35 वर्ष है, उसने आज तक कोई आपत्ति नहीं की। किसी दस्तावेज को चैलेन्ज करने का समय 3 वर्ष होता है। 28 वर्ष तक इन्तकाल को कोई उज्र एतराज नहीं किया। इतने लम्बे समय बाद प्रार्थी को कानून से मदद की आशा नहीं करनी चाहिए जबकि उसने स्वयं लम्बे तक न्याय हेतु कोई कार्यवाही नहीं की। झिण्डूराम के प्रथम श्रेणी वारिस उसके भाई तथा इसका पिता राजेन्द्र है। साधुराम को दावा लाने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि इसका वादभूमि में प्रथम दृष्टया सीधा हित नहीं है। प्रार्थी ने दावा में अपने हक बाबत कोई अनुतोष नहीं मांगा, जब हक ही नहीं तो टीआई की मांग किस आधार पर कर रहा है। मैं 28 वर्ष से कब्जा काश्त में हूं। मेरा खाता भी अलग हो चुका है। मेरा मकान, डिग्गी, ट्युबवैल है तो असुविधा तो मुझे उत्पन्न होगी। सुविधा का सन्तुलन मेरे पक्ष में है। अपूरणीय क्षति मेरी काश्त है। मेरी फसल खड़ी है। डिग्गी, ट्यबवैल से सिंचाई कर रहा हूं। मुझे किसी प्रकार से रोकने पर मुझे अत्यधिक क्षति की सम्भावना है। भूमि बैय हम करना ही नहीं चाहते। 28 वर्षो से भूमि हमारे नाम है, हमने अभी तक इसे बैय नहीं किया। इसी जमीन के दो मामलात एडीजे कोर्ट व

रेवेन्यु कोर्ट में विच राधीन है। इनमें एडीजे कोई के वाद की बात छुपाकर आये है यानि क्लिन हैंड नहीं अ ये है। रेवेन्यु बोर्ड का प्रकरण इंतकाल के संदर्भ में है जो कि भौतिक प्रविष्टि है। जब 2 साल से वसीयत बाबत एडीजे कोर्ट में वाद चल रहा है तो इन्हे नया दावा लाने का कोइ अधिकार नहीं है। एक रिकार्डेड खातेदार ही दूसरे रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध स्थाई नेषेधाना 188 आरटीए का दावा ला सकता है। साधुराम रिकार्डेड खातेदार नहीं है। वकील अप्रार्थीगण ने न्यायिक दृष्टान्त आरआरडी 14.11.2017 पृष्ठ सं0 732 से 734 अ किता व अन्य बनाम ताराचन्द व अन्य रिविजन नं01825/झुझूनू ऑफ 2016निर्णय दिनांक 4 जून 2017 पेश किया।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। आरआरडी 14.11.2017 पृष्ठ सं0 732 से 734 अंकिता व अन्य बनाम ताराचन्द व अन्य रिविजन नं01825/झुझूनू ऑफ 2016निर्णय दिनांक14 जून 20 7 का ससम्मान अवलोकन किया। बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया व पत्रावली प उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने हरकौरी व उसके पुत्रों के पक्ष में की गई वसीयत के बिन्दु पर तथा पैतृक सम्पति के आधार पर स्थगन की प्रार्थना की है।

प्रार्थी ने जिस वसीयत बाबत विवाद बताया है उसके सम्बन्ध में एक वाद माननीय एडीजे को भादरा में जैरकार है। वसीयत के सम्बन्ध में इंतकाल दर्ज हो चुका है, जिसके सम्बन्ध में एक निगरानी माननीय राजस्व मण्डल में विचाराधीन है जिसमें माननीय राजस्व म डल का स्थगन है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में उक्त दोनों बिन्दुओं का उल्लेख नहीं केया है। प्रार्थी द्वारा उक्त दोनों माननीय न्यायालयों में कोई भी अनुतोष प्राप्त किया जाना उचित व न्यायसंगत है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का है। प्रार्थी ने मूल वाद में हकों की घोषणा सम्बन्धी कोई अनुतोष नहीं मांगा है। जब तक वादभूमि में प्रार्थी स्वयं द्वारा कोई हक हिस्सा मांगा व साबित नहीं किया जाता तब त क उसे अप्रार्थीगण जो कि रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिनका खाता व लगान अ ग कायम हो चुका है उनके विरूद्ध कोई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हक नहीं है। प्रार्थी ने ऐसा कोई सुसंगत दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे वाद भूमि प्रथम दृष्टया पैतृ या दादालाई साबित होती है जबकि अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत छायाप्रति रजिस्टर से वादभूमि झण्डुराम को जरिये आवंटन प्राप्त होनी दर्शाई गई है। जब वादभूमि झण्डु राम को विरासतन प्राप्त नहीं हुई तो प्रार्थी द्वारा उसे पैतृक या दादालाई साबित कि या जाना आवश्यक था। प्रार्थी झण्डुराम का प्रथम श्रेणी का वारिस नहीं है। वाद भूमि की झण्डुराम द्वारा वसीयत की गई जिसके सम्बन्ध में इंतकाल दर्ज हुए, रिकार्डेड खाते रों द्वारा जिनमें प्रार्थी का पिता भी शामिल था सहमति से खाता विभाजन किया गया। इन सभी बिन्दुओं पर माननीय न्यायालयों में वाद, अपील/निगरानी जैरकार है। प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बीकानेर के निर्णय का प्रार्थना त्र व बहस में उल्लेख किया है उक्त निर्णय के विरूद्ध माननीय न्यायालय राजस्व म ण्डल अजमेर में अपील/निगरानी विचाराधीन है। प्रार्थी वादभूमि में रिकार्डेड खातेदार हीं है । प्रार्थी वादभूमि में प्रथम दृष्टया अपना हक हिस्सा साबित करने में असफल र ा है। इस प्रकार प्रार्थी प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में असफल रहा है।

सुविधा का संतुल :— प्रार्थी वादभूमि में रिकार्डेड खातेदार काश्तकार नहीं है। जबकि अप्रार्थी रिकार्डेड ख ातेदार काश्तकार है जिसका खाता अलग से कायम है व उसके द्वारा अपने कब्जा काश्त में काश्त सुविधा बाबत डिग्गी, ट्युबवैल, मकान बना रखे है या बनाए जाते है तो उक्त सुविधाएं काश्तकारी हेतु आवश्यक है। खातेदार काश्तकार को कृषि हेतु आवश्यक सुवि ाओं से वंचित किया जाना न्यायोचित नहीं है। इस प्रकार सुविधा का संतुलन का बिन्दु प ार्थी के पक्ष में न होकर अप्रार्थी के पक्ष में है।

अपूरणीय क्षति :— प्रार्थी वाद भूमि में रिकार्डेड खातेदार काश्तकार नहीं है, न ही प्रार्थी द्वारा वादभूमि पर क ब्जा काश्त है। जबकि अप्रार्थीगण की वादभूमि में कब्जा काश्त है व फसल बुआई कर रखी है। वादभूमि पूर्ववत् रहन है। ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है जिससे अप्रार्थीगण द्वारा वाद भूमि बैय किये जाने का अंदेशा हो। जब प्रार्थी द्वारा वादभूमि में प्रथम दृष्टया कोई हक हिस्सा ही साबित नहीं किया गया है तो अपूरणीय क्षति किस प्रकार है, यह भी प्रार्थी साबित करने में असफल रहा है। इस प्रकार अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में न होकर अप्रार्थी के पक्ष में है।

वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आरआरडी 14.11.2017 पृष्ठ सं0 732 से 734 अंकिता व अन्य बनाम ताराचन्द व अन्य रिविजन नं01825/झुझूनू ऑफ 2016निर्णय दिनांक14 जून 2017 प्रकरण हाजा पर चस्पा होती है जिसमें " पिता के जीवनकाल में पुत्रों को खातेदारी अधिकार अर्जित नहीं, रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध स्थगन आदेश दिया जाना अविधिक" माननीय न्यायालय ने स्पष्टमत अभिनिर्धारित किया है।

उपर्युक्त तीनों बिन्दुओं की विवेचना व प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार किया जाता है। न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 16.01.2018 को पारित अन्तरित अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक **28.02.2018** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ